

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन / U.T. Administration of Daman & Diu  
राजभाषा विभाग / Rajbhasha Vibhag, दमण / Daman.

रा.भा. 7(2)/अनु.कार. /2018/197

दिनांक 04/11/2018

परिपत्र / CIRCULAR

विषय :- फाइलों पर 50% टिप्पणियाँ हिन्दी में लिखे जाने के बारे में।

संदर्भ :- सं.रा.भा.7(1)/राकास,अनु. का/2018/192, कार्यवृत्त मद सं.-4.

उपर्युक्त विषय के संबंध में सभी सदस्य कार्यालयाध्यक्षों को यह सूचित करना है कि दिनांक 20/11/2018 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में माननीय उप-सचिव (राजभाषा) द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि कि जिन कार्यालयाध्यक्षों द्वारा निर्धारित लक्ष्य 50% से कम टिप्पणियाँ लिखी गई हैं, वे अनिवार्य रूप से इस लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे और विशेषकर नेमी टिप्पणियों को हिन्दी में लिखेंगे।

इस संबंध में किसी प्रकार की सहायता हेतु राजभाषा विभाग से संपर्क करेंगे।



( डॉ. अनिल कौशिक )

सहायक निदेशक (राजभाषा)  
दमण

सेवा में,

सभी कार्यालयाध्यक्ष एवं  
राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य, दमण।

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थः

1. प्रशासक के निजी सचिव, सचिवालय, दमण।
2. सचिव (राजभाषा) सचिवालय, दमण।
3. समाहर्ता की वैयक्तिक सहायक, समाहर्तालय, दमण।
4. उप-निदेशक (कार्यान्वयन) भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम), केन्द्रीय सदन, छठा तल, कमरा संख्या-601, सेक्टर-10, बेलापुर, नवी मुंबई-400 614।
5. राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, सचिवालय, दमण को इसे प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अनुरोध सहित।
6. कार्यालय प्रति।